

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशना र्थ)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 45/2021-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर, 2021

सा.का.नि.... (अ), - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित वस्तुओं, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय, शीर्षक, उप शीर्षक या टैरिफ मद के अंतर्गत आती हों, को, जब भारत में उनका आयात किया गया हो, उन पर उक्त प्रथम अनुसूची के अंतर्गत लगाए जाने वाले सम्पूर्ण सीमाशुल्क से छूट देती है; अर्थात्:-

क्र.सं.	अध्याय, शीर्षक, उप शीर्षक या टैरिफ मद	विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	30	कोविड 19 वैक्सीन

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी और 31 दिसम्बर, 2021 तक लागू रहेगी ।

[फाइल संख्या 190354/66/2021-टीओ (टीआरयू-।)सीबीईसी]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार